न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

पीठासीन अधिकारी :– नन्दकिशोर राजोरा, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 04 / 2019

अपीलाण्ट –

1. खीमाराम पुत्र रामचन्द्र
2. दुर्गाराम पुत्र रामचन्द्र
3. धनाराम पुत्र रामचन्द्र
4. कमला पुत्री रामचन्द्र
5. भागीदेवी बेवा रामचन्द्र जातिगण पालीवाल निवासीगण झींतडा तहसील रोहट

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स –

1. जगदीशचन्द्र पुत्र टीकूराम जाति पालीवाल ब्राहम्ण निवासी झींतड़ा तहसील रोहट भंवरलाल पुत्र टीकूराम के का0मु0
2. फुलीदेवी बेवा भंवरलाल
3. ओमप्रकाश पुत्र भंवरलाल
4. अणसीदेवी पुत्री टीकूराम पत्नी धुलाराम
5. नेमीदेवी पुत्री टीकूराम पत्नी चिंरजीलाल
6. जानीदेवी पुत्री टीकूराम पत्नी कालुराम
7. आईचुकी पुत्री टीकूराम पत्नी पुखराज
8. शांतिदेवी पुत्री टीकूराम पत्नी नारायणराम जातिगण पालीवाल निवासीगण झींतड़ा तहसील रोहट
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रोहट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति –

अपीलाण्ट्स की ओर से श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, अधिवक्ता

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से श्री मदनलाल वैष्णव, अधिवक्ता

– निर्णय –

दिनांक : 05/12/2022

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अपीलाण्ट की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा सहायक कलक्टर रोहट द्वारा राजस्व वाद संख्या 4/2013 जगदीशचन्द्र बनाम मृतक भंवरलाल के का0मु0 फुलीदेवी वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.09.2018 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया जाकर उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस समायत की गई।

अपीलाण्ट्स की ओर से उनके अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद अन्तर्गत धारा 88, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जैर अपील विवादित आराजी ग्राम झींतड़ा के खसरा नम्बर 523, 524 व 547 कुल खसरा 3 जिसका कुल रकबा 28 बीघा 13 बिस्वा की भूमि भीमली बेवा पेमाजी की खातेदारी की स्व–अर्जित भूमि है, जिसका भीमली द्वारा अपने जीवनकाल में रेस्पोडेन्ट संख्याा 1 के पक्ष में वसीयतनामा निष्पादित किया है, जिसके अनुसार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 खातेदार हो चुका हैं। उक्त वसीयत के आधार पर तहसील कार्यालय में प्रकरण संख्या 15/09 कायम हुआ, जिसके तहत तहसीलदार द्वारा गलत रूप से दिनांक 14.05.2012 को आदेश पारित करते हुए जैर अपील विवादित आराजी अपीलाण्ट एवं अन्य रेस्पोडेन्ट के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने का आदेश पारित किया है, जो विधि विरूद्ध होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया। उक्त भूमि के सम्बन्ध में अपीलाण्ट की ओर से भी एक वाद अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था, जो विचाराधीन था। इस कारण अपीलाण्ट की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 151 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दोनों वादों में पक्षकार एवं विवादित आराजी समान होने के कारण उक्त वादों को कन्सोलिडेट करवाते हुए अग्रिम कार्यवाही कराने का निवेदन किया। इसी दौरान रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से धारा 65 साक्ष्य अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तथा जाहिर किया कि मूल वसीयत गुम हो चुकी है, अतः वसीयत की फोटो प्रति को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में शुमार करवाते हुए अग्रिम कार्यवाही कराने का निवेदन किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कोई ठोस आधार के स्वीकार किया गया तथा धारा 151 का प्रार्थना पत्र लम्बित रहने के दौरान ही वादीगण की साक्ष्य ली गई। इसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को यह अंकित करते हुए खारिज़ किया कि, विधि में धारा 151 के तहत वादों को कन्सोलिडेट करने का कोई प्रावधान उपलब्ध नहीं हैं। यहां तक कि उक्त प्रार्थना पत्र को दिनांक 09.02.2018 एवं 23.02.2018 के जरिये पृथक–पृथक दिनांक को खारिज़ करना अंकित किया, जो संभव नहीं था। इसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली को साक्ष्य प्रतिवादी में नियत किया गया तथा वादीगण से प्रतिवादी को जिरह का अवसर भी समाप्त कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त वाद कार्यवाही को अत्यन्त ही केजुअल तरीके से निष्पादित करते हुए

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अविधिक रूप से प्रतिवादी अपीलाण्ट को अपने हक हकूकों एवं अधिकारों से वंचित रखने के लिए जान–बूझ कर विधि के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की है, जो विधि विरूद्ध होने से खारिज़ योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में जो तनकीयात कायम की गई, वे तनकीयात भी दावे एवं जवाबदावे के अनुसार नहीं हैं। जैर अपील विवादित आराजी भीमली की स्व–अर्जित नहीं होकर पुश्तैनी थी, जो उसे उसके पति से विरासत में प्राप्त हुई हैं। इस कारण भीमली को उक्त भूमि वसीयत करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। इसके अतिरिक्त उक्त वसीयत कूटरचित थी, इस कारण वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मूल वसीयत प्रस्तुत न कर उसकी फोटो प्रति प्रस्तुत की। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त वाद में पैरवी हेतु श्री मोतीसिंह अधिवक्ता को नियुक्त किया गया था, किन्तु अधिवक्ता द्वारा उक्त वाद में हुई कार्यवाही के सम्बन्ध में अपीलाण्ट को कोई जानकारी नहीं दी गई। इसके पश्चात अपीलाण्ट द्वारा अन्य अधिवक्ता को पैरवी हेतु नियुक्त किया, तब जैर अपील निर्णय एवं डिक्री की जानकारी हुई। इसके पश्चात निर्णय एवं डिक्री की प्रतियां प्राप्त कर हस्तगत अपील प्रस्तुत की है, जिसे अन्दर मियाद शुमार करावे। प्राकृतिक न्याय का भी यह सिद्धान्त है कि अधिवक्ता द्वारा की गई गलती की सज़ा पक्षकार को नही दी जा सकती हैं। अपीलाण्ट ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति है, जिन्हे कानूनों की जानकारी नहीं हैं। अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार करावें एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय एवं डिक्री को अपास्त कराने का निवेदन किया। विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस के समर्थन में RLW 2002 (4) Page 2280, RRT 2011 (2) Page 883, RLW 2006(2) Page2865, DNJ 1999 (1) Page 341, RRT 2011 (1) Page 512, RLW 2000 (1) Page 143, DNJ (SC) 2013 Page 441, RLW 2007 (1) Pag 764, AIR (SC) 1979 Page 1436, RRT 2009 (1) Page 500 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों का सहारा लिया।

रेस्पोडेन्ट्स की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस कथन किया कि प्रकरण में जैर अपील विवादित आराजी भीमली की स्व–अर्जित सम्पति है, जिसकी वसीयत करने का भीमली को कानूनन अधिकार प्राप्त हैं। प्रथमतः तो अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्पष्ट रूप से मियाद बाहर होने से खारिज़ योग्य हैं। अपीलाण्ट का यह कथन रहा कि उनके अधिवक्ता द्वारा उन्हे प्रकरण में हुई कार्यवाही से अवगत नहीं करवाया गया। विधि में यह प्रावधान है कि पक्षकार को अपने अधिकारों के प्रति सजग रहना आवश्यक हैं। अपीलाण्ट को जैर अपील निर्णय एवं डिक्री की आरम्भ से ही जानकारी रही हैं। यदि उक्त अधिवक्ता द्वारा अपीलाण्ट को प्रकरण में हुई कार्यवाही से अवगत नहीं करवाया, तो अपीलाण्ट के द्वारा उक्त अधिवक्ता के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई ? इसका कहीं भी अंकन नहीं किया गया है, मात्र मनगढन्त तथ्यों के आधार पर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन कराने का निवेदन किया है, जो विधि के प्रावधानों के विरूद्ध हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने वाद को दस्तावेजी साक्ष्यों एवं मौखिक साक्ष्यों से साबित किया है, जिन्हे दृष्टित रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की हैं। अपीलाण्ट द्वारा धारा 151 सी0पी0सी0 के प्रार्थना पत्र पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

पारित निर्णय एवं धारा 65 साक्ष्य अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पारित निर्णय पर अपील हाजा में आक्षेप लगाया हैं। यदि अपीलाण्ट उक्त आदेशों से व्यथित था, तो उसे उक्त आदेशों के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में निगरानी याचिका दायर करवाई जानी थी, जो अपीलाण्ट द्वारा नहीं करवाई गई, क्योंकि अपीलाण्ट के पास कोई आधार ही नहीं था। अब अपीलाण्ट द्वारा मनगढन्त तथ्यों के आधार पर यह अपील प्रस्तुत की है, जो किसी भी रूप में पोषणीय नहीं हैं। अपीलाण्ट द्वारा अपनी अपील में यह अंकित किया कि जैर अपील विवादित आराजी भीमली की स्व–अर्जित नहीं होकर पुश्तैनी है, किन्तु इन तथ्यों के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत ही नहीं किया, जो उक्त भूमि को पुश्तैनी होना प्रमाणित करता हो। मात्र अपील प्रस्तुत करने हेतु मनगढन्त तथ्यों का सहारा लिया गया है, जो विधि विरूद्ध हें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त दस्तावेजी साक्ष्यों एवं विधिक प्रावधानों के तहत परीक्षण पश्चात जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की है, जिसमें किसी प्रकार की विधि त्रुटी नहीं हैं। अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज़ की जावे। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस के समर्थन में RRT 2019 Page 866, DNJ 2019 Page 459, RRD 1984 Page 391, RRD 2006 Page 515, RRD 2006 Page 2120 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों का सहारा लिया।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत विभिन्न न्यायिक दृष्टानतों का ससम्मान अवलोकन किया एवं पठन किया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्थिति प्रकट होती है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद दायर कर जैर अपील विवादित आराजी की खातेदारी स्वयं के नाम घोषित कराने हेतु अनुतोष चाहा तथा उक्त घोषणा का मुख्य आधार बिन्दु वसीयत थी, जो भीमली द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में निष्पादित होना कथन किया। अपीलाण्ट की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो जवाबदावा प्रस्तुत किया है, उसमें उक्त वसीयत को फर्जी मानते हुए वाद को खारिज़ कराने का अनुतोष चाहा हैं। जहांच तक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित करने से पूर्व अपनाई गई प्रक्रिया का प्रश्न है, तो स्थिति यह प्रकट होती है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट की ओर से धारा 151 सी0पी0सी0 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, उक्त प्रार्थना पत्र के निस्तारण से पूर्व ही रेस्पोडेन्ट/वादी की शहादत पूर्ण की गई। इसके पश्चात उक्त प्रार्थना पत्र को खारिज़ करते हुए शहादत वादी का अवसर बन्द कर दिया गया। तत्पश्चात अपीलाण्ट की ओर से शहादत प्रस्तुत नहीं करने के कारण प्रतिवादी की शहादत का अवसर भी बन्द किया गया, साथ ही वादी से जिरह का अवसर भी समाप्त कर जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की।

हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक ही सम्पति को लेकर पक्षकारान् के मध्य दो पृथक–पृथक वाद विचाराधीन थे। इन वादों में पक्षकार एवं विवाद बिन्दु समान होने के कारण उक्त वादों को समेकित रूप से सुनवाई हेतु अपीलाण्ट की ओर

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी0पी0सी0 के तहत प्रस्तुत किया गया था, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण यह अंकित करते हुए किया कि विधि में स्पष्ट प्रावधान उपलब्ध होते हुए धारा 151 के तहत प्रदत्त व्यापक शक्तियों का प्रयोग किया जाना उचित नहीं हैं। इस सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डी.एन.जे. (एस.सी.) 2019 पेज 1137 में यह अभिनिर्धारित किया है कि "(C) Civil Procedure Code, 1908-Sec. 151- Two suit filed regardng the same property-One suit filed at Delhi and other in the Court of Civil Judge, SBS Nagar- Subject property is same and the parties are the legal heirs of Shri 'K.S' - Held, Both the suits are consolidated and suit pending before the Civil Judge SBS Nagar is transferred to the Delhi High Court." इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डी.एन.जे. (एस.सी.) 2013 पेज 441 में यह अभिनिर्धारित किया कि "(B) Civil Procedure Code1908-Sec. 151- Consolidation of suits-Power of the Court- No specific provision in the Code- Power can be exercised u/s 151 C.P.C. for consolidation of the suits." उक्त दोनों ही सिद्धान्त हस्तगत प्रकरण में पूर्णतः चस्पा होते हैं। हालांकि धारा 151 सी0पी0सी0 के प्रार्थना पत्र पर उपखण्ड अधिकारी, रोहट द्वारा पारित निर्णय हस्तगत अपील में प्रश्नगत नहीं है, किन्तु अपीलीय न्यायालय का यह दायित्व है कि वे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व अपनाई गई प्रक्रिया का पूर्णतः विधिक परीक्षण करे, इस कारण इन तथ्यों को यहाँ रेखांकित किया जाना आवश्यक हैं। जहां एक ही आराजी को लेकर समान पक्षकारो के मध्य पृथक–पृथक वाद विचाराधीन हो, तो हमारे विनम्र मत अनुसार उक्त वादों को समेकित किया जाकर प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही अपनाई जानी चाहिये, जिससे पक्षकारों को सुलभ न्याय प्राप्त हो सके। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारान् के अभिवचनों के अनुरूप वाद बिन्दु कायम किये जाकर उन पर समुचित साक्ष्यों का संग्रहण कर उभयपक्ष के गवाहों का परीक्षण एवं जिरह आदि का समुचित अवसर प्रदान करते हुए निर्णय पारित किया जाना था, किन्तु प्रकरण में न तो वादी पक्ष के गवाहों का प्रतिवादी पक्ष से जिरह की गई एवं न ही प्रतिवादी के पक्ष में बयानात् आदि कलमबद्ध किये गये। ऐसी स्थिति में प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारित नहीं माना जा सकता हैं। हालांकि अधीवक्ता रेस्पोडेन्ट का यह कथन सही है कि अपीलाण्ट को अपने अधिवक्ता के सम्पर्क में रहना चाहिये, किन्तु जहां पर किसी पक्षकार को अपना समुचित पक्ष रखने एवं प्रतिरक्षा करने का अवसर मात्र अधिवक्ता की समुचित पैरवी के अभाव में समाप्त हो गया हो, वहां प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार उस पक्षकार को सुनवाई हेतु समुचित अवसर प्रदान किया जाना नितान्त आवश्यक हैं। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आर.एल.डब्ल्यू. 2002(4) राज. पेज 2280, आर.आर.टी. 2011(2) पेज 833 में समग्र रूप से यह अभिनिर्धारित किया है कि अधिवक्ता की गलती अथवा अधिवक्ता की उपेक्षा के कारण किसी पक्षकार को उसकी सज़ा नहीं दी जा सकती हैं। इस हेतु यह आवश्यक है कि पक्षकारों को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर प्रकरण का गुणावगुण

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

पर विनिश्चय किया जावे। हस्तगत प्रकरण पर ये तथ्य पूर्णतः चस्पा होते हैं। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय एवं डिक्री समर्थन योग्य नहीं हैं।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर रोहट द्वारा राजस्व वाद संख्या 4/2013 जगदीशचन्द्र बनाम मृतक भंवरलाल के का0मु0 फुलीदेवी वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.09.2018 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे जैर अपील विवादित आराजी के सम्बनध में विचाराधीन अन्य वाद संख्या 41/2013 खीमाराम बनाम जगदीशचन्द्र की पत्रावली जैर अपील पत्रावली संख्या 4/2013 के साथ Consolidate करते हुए दोनों वादों के तथ्यों एवं अभिकथनों के आधार पर नये सिरे से तनकियात कायम करउक्त तनकियात पर पक्षकारान् को समुचित सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रतिलिपिप के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 5/12/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नन्द किशोर राजोरा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली